न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम म.प्र.

थाना स्टेशन रोड रततलाम
के अपराध कमांक 234/20

शासन वि0 शाहरूख व अन्य

28.05.2020

राज्य द्वारा ए डी पी ओ।

प्रकरण आरोपी शाहरूख की ओर से श्री शेलेन्द्र सिंह राठौर अधिवक्ता।

प्रकरण आरोपी शाहरूख की ओर से ई मेल द्वारा प्रस्तुत धारा 437 दं.प्र.सं. के जमानत आवेदन पर तर्क एवं विचार हेतु नियत है।

विडियोकांफ्रेंसिंग कनेक्ट नहीं होने से संबंधित अधिवक्ता द्वारा उनके मोबाईल फोन से न्यायालय के प्रवर्तन लिपिक श्रीमती उषा शर्मा के मोबाईल फोन पर व्हाटसेप विडियोकॉल कर तर्क सुनने का निवेदन किया। तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी शाहरूख व अन्य के विरूद्ध धारा 332, 353, 188 व अन्य भा द सं का आरोप है। केस डायरी का अवलोकन करने से यह भी दर्शित है कि आरोपी एवं अन्य आरोपीगण के द्वारा लॉक डाउन की अवधि में शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करते अनावश्यक भीड़ एकत्रित कर हंगामा किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आरोपी शाहरूख व अन्य के द्वारा हंगामा रोकने के लिये गये पुलिस अधिकारी एवं अन्य कोरोना फाईटर के साथ गाली गलोच, मारपीट की गई है जिससे उन्हें चोंटें आई है।

आरोपी का उक्त कृत्य कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में गंभीर बाधा उत्पन्न करनेवाला है तथा कोरोना फाईटर्स के कार्य में उनका मनोबल गिराने तथा आम नागरिकों के जीवन को खतरा उत्पन्न करनेवाला है। यदि आरोपी शाहरूख को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो पुनः इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति होना संभव है। आरोपी का उपरोक्त कृत्य वर्तमान परिस्थिति में अत्यंत गम्भीर प्रकृति का दर्शित होता है।

आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आरोपी शाहरूख मौके पर नहीं था, सी सी टी वी फुटेज में नहीं दिख रहा है। किन्तु वर्तमान में अनुसंधान जारी है तथा अभियोग पत्र प्रस्तुत होना है। ऐसी दशा में वर्तमान स्तर पर गुण दोष पर कोई टिप्पणी किया जाना न्यायोचित भी नहीं है।

ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी शाहरूख को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी शाहरूख का नियमित जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत नियत दिनांक 11.06.2020 को प्रस्तुत हो।

सही/–
(निलेश कुमार जिरेती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रतलाम(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु